"धोखाधड़ी रोकथाम नीति"

गेल (इंडिया) लिमिटेड

गेल भवन, 16 भीकाएजी कामा प्लेस,

आर के पुरम, नई दिल्ली, पिन-110066

B.C. Tripathi
Chairman & Managing Director

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

<u>प्रस्तावना</u>

गेल ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में उच्च पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए संगठन के अंदर और बाहर कार्यकलापों के निष्पादन हेतु कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए अनेक नीतियों, प्रणालियों और प्रविधियों का निर्माण किया है। इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए मुझे गेल की "धोखाधड़ी रोकथाम नीति" जारी करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। निगमित नियंत्रण के सिद्धांतों के अनुपालन हेतु अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए गेल धोखाधड़ी रोकथाम नीति को लागू कर रहा है। इस नीति को गेल की वैविध्य पूर्ण व्यावसायिक प्रविधियों और धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की रोकथाम, पहचान और उसका तेजी से निपटान किए जाने को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने का प्रयास किया गया है।

गेल ने धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों की पहचान करने के लिए अनेक निवारक और भावी उपायों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने सभी प्रचालनों में पहले ही स्थापित कर दिया है। यह नीति गेल की प्रतिष्ठा, संसाधनों के निर्माण और कंपनी के प्रति हितधारकों के विश्वास में अभिवृद्धि हेतु सक्रिय सहभागिता के लिए सभी कार्मिकों और अन्य हितधारकों में एक ईमानदार और पारदर्शी वातावरण को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

हमारे इस सफर में, मैं आगे अनेक और लक्ष्यों को हासिल करने तथा अपने मिशन के अनुरूप निगमित नियंत्रण के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के प्रति आशान्वित हूँ।

हस्ता./-

(बी.सी. त्रिपाठी)

GAIL (India) Limited
16, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi - 110022
Tel: 91-11-26102077 Fax: 26103055
E-mail: bctripathi@gail.co.in

गेल (इंडिया) लिमिटेड
16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
फोन: 91-11-26102077 फैक्स: 26103055
ई-मेल: bctripathi@gail.co.in

"धोखाधड़ी रोकथाम नीति"

1. प्रस्तावना :

1.1 गेल (इंडिया) लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और न केवल प्राकृतिक गैस बल्कि उससे बढ़कर भी इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। गेल वैश्विक दृष्टि के साथ ग्राहक हितों के प्रति निष्ठावान, सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन और उसे पर्यावरण संबंधी प्रदत्त जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गैस/ पेट्रोलियम की विभिन्न गतिविधियों में प्रवेश कर रहा है। अपने व्यवसाय के संचलन के लिए गेल का मंत्र है "नैतिकता के साथ उत्कृष्टता"।

1.2 गेल ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में उच्च पारदर्शिता और एकरूपता के साथ संगठन के अंदर और बाहर कार्यकलापों के निष्पादन हेतु कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए अनेक नीतियों, प्रणालियों और प्रविधियों का निर्माण किया है जैसे कि शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी), ईआरपी-एसएपी, एचआर-नीतियां, एचएसई, निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार-संहिता, कार्मिकों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली, स्थायी आादेश, सेवा नियम तथा मेसर्स ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ सत्यनिष्ठा समझौता आदि।

1.3 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिनांक 14.05.2010 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशें के अनिवार्य होने के साथा-साथ इसमें यह भी उल्लिखित है कि निदेशक मण्डल नीतियों और प्रविधियों के कार्यान्वयन में इन्हें शामिल करें:-

i) धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान हेतु कर्मचारियों की जिम्मेदारी।
ii) एक बार धोखाधड़ी की पहचान हो जाने पर धोखाधड़ी की जांच की जिम्मेदारी।
iii) धोखाधड़ी संबंधी मामलों की सूचना प्रबंधन को दिए जाने की प्रक्रिया।
iv) धोखाधड़ी के आरोपों को रिकार्ड किए जाने के लिए रिपोर्टिंग और रिकार्डिंग प्रक्रिया का अनुपालन।

v) धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान विषय पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।

1.4 पुन:, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 619(3) के प्रावधानों के अनुपालन में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) को प्रस्तुत किए जाने वाले कंपनी के वार्षिक लेखे की रिपोर्ट में कंपनी की धोखाधड़ी रोकथाम नीति पर अपनी टिप्पणी देनी आवश्यक है।

1.5 निगमित नियंत्रण सिद्धांतों के अनुपालन हेतु गेल के पूर्ववर्ती और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक धोखाधड़ी रोकथाम नीति बनाई जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए।

1.6 नीति का विवरण नीचे दिया गया है जिसे तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जाएगा।

2.0 नीति के उद्देश्य :

2.1 इस नीति का उद्देश्य धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी की पहचान, रोकथाम और रिपोर्टिंग किया जाना और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर कार्रवाई किया जाना है।

2.2 नीति के दिशानिर्देशों को नीचे अनुबंधित किया गया है:

I) यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम तथा जब भी ऐसा हो तो धोखाधड़ी की रोकथाम और/अथवा धोखाधड़ी की पहचान हेतु प्रविधि स्थापित किए जाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है।

II) कर्मचारियों और गेल के साथ कारोबार करने वाले अन्य व्यक्तियों को किन्हीं धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करना और धोखाधड़ी गतिविधियों में संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

III) धोखाधड़ी अथवा धोखाधड़ी की संदिग्ध गतिविधियों की जांच करना; और

IV) यह आश्वासन देना कि किसी अथवा सभी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि/गतिविधियों की पूरी जांच की जाएगी।

V) धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

2.3 उपर्युक्त दिशा-निर्देश केन्द्रीय सरकार/लोक उद्यम विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी और यथा संशोधित दिशा-निर्देशों के विरोधी नहीं होंगे।

2.4 इस नीति से निम्न को सुनिश्चित और प्रदान करने की आशा की जाती है:-

i) "धोखाधड़ी की रोकथाम" सभी की जिम्मेदारी है - एक "संस्कृति" का सृजन किया जाए।

ii) यह कि प्रबंधन धोखाधड़ी की जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सजग है।

iii) जब भी धोखाधड़ी और/अथवा धोखाधड़ी की पहचान हो, इसकी रोकथाम हेतु प्रविधि स्थापित करना।

iv) यह नीति गेल से संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करेगी:-

क) उनको किसी धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधि में शामिल होने से रोकना, और

ख) जहां कि धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधि संभावित है, वहां उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।

v) धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच कैसे की जाए, के लिए मार्गदर्शन।

vi) सभी को यह आश्वासन देना कि किसी अथवा सभी संभावित धोखाधड़ी की गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी और उनकी पूरी जांच की जाएगी।

3. नीति का विस्तार:

3.1 यह नीति गेल के व्यवसाय के संबंध में गेल कर्मचारी (कर्मचारियों), परामर्शदाता के रूप में कार्यरत पूर्व कर्मचारी (कर्मचारियों), तदर्थ/अस्थायी/संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति(यों), आपूर्तिकर्ता(ओं), ठेकेदार(रों), ग्राहक(कों), ऋणदाता(ओं), सलाहकार(रों), सेवाप्रदाता(ओं), कोई बाह्य एजेंसी(सियों) अथवा उनके प्रतिनिधि(यों), ऐसी एजेंसियों

के कर्मचारियों और/अथवा अन्य पार्टियों द्वारा की गई धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी पर लागू होगी।

4. परिभाषा :

4.1 धोखाधड़ी किसी व्यक्ति(यों)/इकाई(इकाइयों) द्वारा छल से, छिपाव से, धोखा देकर अथवा किसी अन्य कपटपूर्ण अथवा किसी अन्य गैर-कानूनी तरीके से जानबूझकर किया गया कृत्य है जिससे स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्ति(यों) को अनुचित लाभ हो और दूसरे व्यक्ति(यों) को अनुचित हानि हो। प्राय: ऐसे कृत्य वास्तविक तथ्यों से परे किसी कार्य को करने अथवा किसी प्रमाणिक कार्य को करने से रोकने अथवा प्रमाणिक निर्णय लेने से रोकने के लिए धोखा देने/बहकाने के लिए किए जाते हैं।

4.2 कार्य केन्द्रों में नोडल अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक से निचले स्तर का नहीं होगा। कार्य केन्द्रों में प्रभारी अधिकारी, जो उप महाप्रबंधक स्तर से कम न हो, नोडल अधिकारी नियुक्ति करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा। निगमित कार्यालय में, प्रत्येक कार्यात्मक निदेशलय एक नोडल अधिकारी, जो महाप्रबंधक स्तर से कम न हो, को नामित करेगा जो संबंधित निदेशालय में समग्र समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

4.3 संबंधित सक्षम प्राधिकारी लिंक नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम अधिसूचित करेगा जो नोडल अधिकारी के अवकाश के दौरान उसके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा।

5. धोखाधड़ी वाले कार्य :

5.1 जबकि धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी की गतिविधियों की व्याप्ति की व्यापक श्रृंखला है, तथापि इनमें से कुछ निम्न कृत्य धोखाधड़ी है/हैं

5.2 नीचे दी गई सूची केवल सांकेतिक है, परिपूर्ण नहीं:-

i) कंपनी के किसी दस्तावेज अथवा लेखे में जालसाजी अथवा अनधिकृत बदलाव करना।

ii) चेक, बैंक ड्राफ्ट, ई-बैंकिंग लेनदेन अथवा किसी अन्य वित्तीय दस्तावेज आदि में जालसाजी अथवा अनधिकृत बदलाव करना।

iii) धोखाधड़ी से निधियों, सिक्यूरिटीज़, आपूर्तियों अथवा अन्य परिसंपत्तियों का विनियोजन आदि।

iv) अभिलेखों जैसे वेतन रजिस्टर में हेरफेर करना, फाइल से दस्तावेजों को गायब करना और/अथव जाली दस्तावेजों से बदलना।

v) नियुक्ति, तैनाती, रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, निविदा समिति की संस्तुतियों आदि से संबंधित मामलों में जानबूझकर तथ्यों को दबाना/छिपाना जिससे किसी को अनुचित लाभ हो और अन्य को अनुचित हानि।

vi) कंपनी की निधियों को निजी अथवा गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना।

vii) आपूर्ति न किए गए माल अथवा अप्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करना अथवा अधिकृत करना।

viii) बदनीयती से तथ्यों में जोड़-तोड़ और हेरफेर कर कंपनी के आमलेखों अथवा परिसंपत्तियों को नष्ट करना, निपटान करना, हटाना जिससे कि भ्रम/छिपाव/धोखे की स्थिति निर्मित हो और जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुनिष्ठ परक मूल्यांकन/निर्णय न लिया जा सके।

ix) कोई अन्य कृत्य जो धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधि के विस्तार के अंतर्गत हो।

6. धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान के संबंध में नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व:

6.1 नोडल अधिकारी धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान तथा कंपनी की धोखाधड़ी रोकथाम नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व को निभाएगा। सभी नोडल अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकथाम नीति से संबंधित सभी तंत्र उपलब्ध हों:-

i) प्रत्येक कर्मचारी को विभिन्न प्रकार के अनुचित कृत्यों से परिचित कराना जो उनके कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं।

ii) धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान के लिए किए जाने वाले उपायों से कार्मिकों को शिक्षित करना।

iii) कार्मिकों को बिना किसी उत्पीड़न के भय के किसी धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी के उनके संज्ञान में आने पर उसकी सूचना दिए जाने के लिए प्रोत्साहित करने की संस्कृति सृजित करना।

iv) कार्मिकों को सीडीए नियमावली/स्थायी आदेशें के माध्यम से कंपनी द्वारा सहमत नैतिक सिद्धांतों के प्रति जागरूक किए जाने को प्रोत्साहित करना।

v) शिकायतों के प्राप्त होने और उन्हें संबंधित निदेशक, सीवीओ और ईडी(आईए) को अग्रेषित किए जाने के दिनांकवार आंकड़े रखना।

7. धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान हेतु तंत्र :

7.1 धोखाधड़ी रोकथाम :

रोकथाम में नीति परक वातावरण, आवधिक धोखाधड़ी जोखिम मूल्यांकन और निवारक आंतरिक नियंत्रण जैस - प्राधिकार सीमाएं, नीतियां और प्रवधियां शामिल हैं। उच्च स्तरीय इरादों के साथ रोकथाम नियंत्रण और प्रविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए मजबूत और कारगर उपाय है।

(क) ईमानदारी और नैतिकता की संस्कृति :

धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सबसे कारगर तरीका एक नैतिक और पारदर्शी वातावरण निर्मित करना है जिसमें सभी कार्मिकगण गेल की प्रतिष्ठा तथा संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सक्रिय सहभागिता करने और हितधारकों के गेल के प्रति विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हों। इसमें शामिल हैं:-

i) हितों में मतभेद का प्रकटन

ii) सीडीए नियमावली का प्रवर्तन

iii) गेल की आचार संहिता का अनुपालन

iv) कंपनी की सिक्यूरिटीज़ से संबंधित मामलों के लिए आंतरिक प्रविधि और आचार संहिता का अनुपालन

v) गेल के साथ ठेके में विक्रेताओं / बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर।

vi) धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता और प्रशिक्षण

vii) निरंतर धोखाधडी जोखिम निगरानी और नियंत्रण

(ख) धोखाधड़ी रोकथाम तंत्र :

i) संबंधित नोडल अधिकारी अपने कार्य केंद्रों/ज़ोनल कार्यालयों। निगमित कार्यालय से संबंधित धोखाधड़ी जोखिम मूल्यांकन तैयार करेंगे और तिमाही आधार पर निगमित कार्यालय के संबंधित नोडल अधिकारी को भेजेंगे। निगमित कार्यालय के संबंधित नोडल अधिकारी कार्य केंद्रों/ज़ोनल कार्यालयों/ निगमित कार्यालय से प्राप्त धोखाधड़ी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टों को समेकित करेंगे और तिमाही आधार पर एक धोखाधड़ी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर संबंधित निदेशक, सीवीओ और ईडी (आईए), गेल को अग्रेषित करेंगे।

ii) ईडी (सीएंडपी), ईडी (आईए), ईडी (एचआर एवं विधि) और महाप्रबंधक (सतर्कता) की अर्ध-वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और अपनी संस्तुतियां लेखपरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएंगी।

iii) निविदा/जीएसए/जीटीए आदि में धोखाधड़ी रोकथाम नीति को शामिल करना।

iv) कंपनी में व्हिसिल ब्लोअर नीति और अन्य धोखाधड़ी रोकथाम तथा पहचान उपायों को प्रोत्साहित करना।

v) बिल निगरानी प्रणाली, फाइल प्रबंधन प्रणाली, निविदा निगरानी प्रणाली, ई-बैंकिंग, भुगतान/प्राप्तियां, ई-निविदा और प्रतिलोम नीलामी आदि।

7.2 पहचान नियंत्रकों की डिज़ाइन धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों और कंपनी में कार्यान्वित की गई एसपी प्रणाली में विभिन्न व्यावसायिक प्रविधियों की त्रुटियों की पहचान करने के लिए की गई है। रोकथाम नियंत्रकों में कोई कमी अथवा कमजोरी से धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में पहचान नियंत्रकों पर बोझ बढ़ जाता है। पहचान नियंत्रकों के कुछ उदाहरण हैं: कर्तव्यों को अलग-अलग करना, लेखा-समाधान, लेखा-परीक्षा, स्वतंत्र समीक्षा, प्रत्यक्ष निरीक्षण, आवधिक गणना, आकस्मिक जांच तथा आवधिक मूल्यांकन प्रणाली नियंत्रण और निगरानी प्रणाली आदि। पहचान नियंत्रकों की डिजाइन धोखाधड़ी के जोखिम को ध्यान में रखकर की गई है जिससे कि इनमें

धोखाधड़ी के विभिन्न जोखिमों में होने वाले बदलावों के अनुरूप लचीलापन, अनुकूलनीयता और लगातार परिवर्तित होने की योग्यता बनी रहे।

कंपनी में व्हिसिल ब्लोअर नीति, बिल वॉच प्रणाली, टेंडर निगरानी प्रणाली, फाइल प्रबंधन प्रणली, ई-निविदा, ई-बैंकिंग भुगतान/प्राप्तियां, प्रतिलोम नीलामी, निगरानी प्रणाली और शिकायत प्रबंधन तंत्र धोखाधड़ी पहचान प्रविधि के अनिवार्य अंग हैं।

8. गेल के साथ व्यावसायिक लेनदेन में किसी धोखाधड़ी पूर्ण कृत्य से परहेज के लिए सभी हितधारकों की जिम्मेदारी :

8.1 सभी कर्मचारी (कर्मचारियों), परामर्शदाता के रूप में कार्यरत पूर्व कर्मचारी (कर्मचारियों), तदर्थ/ अस्थायी/ संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति(यों), आपूर्तिकर्ता(ओं), ठेकेदार(रों), ग्राहक(कों), ऋणदाता(ओं), सलाहाकर(रों), सेवाप्रदाता(ओं), कोई बाह्य एजेंसी(यों) अथवा उनके प्रतिनिधि(यों), ऐसी एजेंसियों के कर्मचारियों और/अथवा अन्य पार्टियों द्वारा यह आशा की जाती है और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे गेल के साथ किसी व्यावसायिक लेनदेन(नों) में यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य न किया जाए।

8.2 जैसे ही यह पता लगता है कि कोई धोखाधड़ी हुई है या होने की संभावना है, इसकी सूचना तत्काल नोडल अधिकारी को निर्धारित प्रविधि के अनुसार दी जानी चाहिए।

9. धोखाधड़ी संबंधी मामलों की सूचना प्रबंधन को दिए जाने की प्रविधि :

9.1 "नोडल अधिकारी" समन्वयक के रूप में कार्य करेगा और धोखाधड़ी/संभावित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल गेल के संबंधित निदेशक, सीवीओ और ईडी (आईए) को देगा।

9.2 निगमित कार्यालय में नोडल अधिकारी संबंधित निदेशक के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करेगा और मामले को संबंधित निदेशक के माध्यम से आगे की जांच और उचित कार्रवाई हेतु सीवीओ को भेजेगा।

9.3 यह जानकारी सतर्कता विभाग द्वारा उनके दैनिक कार्यकलापों के अंतर्गत मामले से संबंधित एकत्रित गुप्त आसूचना, सूचना और जांच के अतिरिक्त होगी।

9.4 गेल की वेबसाइट पर शिकायत निगरानी प्रणाली उपलब्ध है। इस प्रणाली पर डाली गई जानकारी का मूल्यांकन निगमित सतर्कता विभाग द्वारा किया जाता है।

9.5 सामान्य नियमानुसार बेनामी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि शिकायत के साथ कोई सत्यापन किए जाने योग्य तथ्य/साक्ष्य संलग्न हैं, तो उस पर सीवीओ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के बाद कार्रवाई की जा सकती है।

9.6 सामान्य नियमानुसार छद्म नाम से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि शिकायत के साथ कोई सत्यापन किए जाने योग्य तथ्य/ साक्ष्य संलग्न है, तो उस पर सीवीओ और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के बाद कार्रवाइ्र की जा सकती है।

9.7 मद सं. 9.5 और 9.6 को ध्यान में रखते हुए ई-मेल/टेलीफोन से प्राप्त शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा।

9.8 आकस्मिक परिस्थितियों में, ऐसी रिपोर्ट तत्काल परियोजनाओं, ज़ोनल मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल और ओएंडएम कार्यालयों सहित कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी को तथा संबंधित ईडी/ जीएम और निगमित कार्यालय में निदेशक को भेजी जाएगी जो अपने अनुदेश संबंधित नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

10. निविदा/जीएसए/जीटीए आदि में धोखाधड़ी रोकथाम नीति को शामिल करना:

10.1 ठेके की सामान्य शर्तों में उचित संशोधन किया जाएगा जिसके अनुसार सभी बोलीदाताओं/ सेवा प्रदाताओं/ विक्रेताओं/ परामर्शदाताओं आदि को यह प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि वे गेल की धोखाधड़ी रोकथाम नीति का पालन करेंगे और न वे स्वयं धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों में शामिल होंगे अथवा दूसरों (गेल में कार्यरत) को धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने देंगे तथा जब भी उन्हें किसी धोखाधड़ी/ संभावित धोखाधड़ी की जानकारी मिलेगी तो वे तत्काल इसकी सूचना संगठन को देंगे। गेल के व्यावसायिक लेनदेन के संबंध में उनके किसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि में

संलिप्त होने के तथ्य को छिपाने को अपराध माना जाएगा और उस पर समय-समय पर लागू गेल की प्रविधियों के अनुसार बर्ताव किया जाएगा।

10.2 गेल की धोखाधड़ी रोकथाम नीति के पालन के संबंध में इसी प्रकार का एक खंड ग्राहकों/ थोक व्यापारियों आदि के साथ किए जाने वाले गैस विक्रय करार, गैस संचरण करार तथा अन्य सेवा करारों आदि में भी शामिल किया जाएगा।

10.3 मौजूदा क्रय आदेशों/कार्य आदेशों/ सेवा ठेकों/ गैस विक्रय करारों/ गैस संचरण करारों आदि के संबंध में यह नीति लागू होने के छः माह (06 माह) के अंदर उल्लिखित कार्रवाई पूरी की जाएगी।

11. नोडल अधिकारियों का नामांकन:

11.1 विभिन्न कार्य केंद्रों/ ज़ोनल कार्यालयों/ निगमित कार्यालय के संबद्ध नोडल अधिकारियों की सूची गेल की वेबसाइट/ इंट्रानेट पर प्रदर्शित की जाएगी।

11.2 निविदा दस्तावेजों/ जीएसए/ जीटीए/ अन्य करारों आदि में संबंधित नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण का उल्लेख किया जाएगा जो हितधारकों को अपेक्षित जानकारी और गेल की धोखाधड़ी रोकथाम नीति के अवलोकन हेतु पुन: निर्दिष्ट करेगा।

12. धोखाधड़ी के आरोप को रिकार्ड करने के लिए रिपोर्टिंग और रिकार्डिंग प्रविधि :

12.1 धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग लिखित में की जानी चाहिए।

12.2 यदि शिकायतकर्ता लिखित विवरण नहीं प्रस्तुत करना चाहता अथवा नहीं दे सकता परंतु वह धोखाधड़ी/ संभावित धोखाधड़ी का क्रमबद्ध और निश्चित लेनदेन बताने की स्थिति में हैं तो नोडल अधिकारी को शिकायतकर्ता द्वारा कहे गए कथन के ब्यौरे को लिखित में रिकार्ड करना चाहिए और शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए।

12.3 नोडल अधिकारी शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए शिकायत को अग्रेषित करेगा। निदेशक/ सीवीओ द्वारा अपेक्षित होने पर शिकायतकर्ता के नाम का खुलासा किया जा सकता है।

12.4 धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी की सभी रिपोर्टों पर अति शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और इसका समन्वय नोडल अधिकारी(यों) द्वारा किया जाएगा।

12.5 नोडल अधिकारी को संभावित धोखाधड़ी की जानकारी प्राप्त होने पर वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संगत रिकार्डों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को तत्काल अभिरक्षा में ले लिया जाए और धोखाधड़ी के संदिग्ध अपराधकर्ताओं अथवा उनके प्रभाव वाले अन्य कर्मचारियों द्वारा उन्हें किसी प्रकार के बदलाव, नष्ट होने अथवा गायब होने से संरक्षित कर दिया जाए।

12.6 जांच जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई, न्यायिक अथवा आपराधिक कार्रवाई अथवा मामले का समापन, यदि यह सिद्ध होता है कि धोखाधड़ी नहीं की गई है आदि, शामिल हैं, के बाद जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित एवं उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

13. लेखापरीक्षा समिति को सूचना :

13.1 निगमित सतर्कता विभाग द्वारा धोखाधड़ी की स्थिति के संबंध में एक तिमाही रिपोर्ट मामले(लों) पर कार्रवाई के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन और उस पर की गई कार्रवाई के विवरण के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को लेखापरीक्षा समिति के सूचनार्थ भेजी जाएगी।

14. धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता:

14.1 गेल प्रशिक्षण संस्थान (जीटीआई) द्वारा प्रति वर्ष प्रशिक्षण कलेंडर में धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान पर प्रशिक्षण को शामिल किया जाएगा और कार्मिकों तथा नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

14.2 जीटीआई द्वारा कंपनी में धोखाधड़ी रोकथाम नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

15. प्रशासन एवं नीति की समीक्षा:

जब भी आवश्यक हो, सीवीओ के परामर्श से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस नीति में संशोधन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

____

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	नोडल अधिकारी/ ईमेल आईडी	पद	लिंक नोडल अधिकारी/ ईमेल आईडी	पद	कार्यालय का पता	अंतर्गत आने वाले कार्यालय
1.	परियोजना निदेशालय, कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली	के आर एम राव krmrao@gail.co.in	सीजीएम (सीएंडपी), दिल्ली	आर के चौबे choubeyrk@gail.co.in	सीजीएम (एसडी), नोएडा	16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066	दिल्ली तथा एनसीआर के परियोजना निदेशालय के अंतर्गत सभी विभाग
2.	विपणन निदेशालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली	आर के सिंघल rksiएनजीhal@gail.co.in	ईडी (विपणन-शिपिंग और आईएनटी एलएनजी)	आनंद मकवाना a.makwana@gail.co.in	सीजीएम (एमकेटीजी-पीसी), नोएडा	16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066	दिल्ली तथा एनसीआर के विपणन निदेशालय के अंतर्गत सभी विभाग
3.	बीडी निदेशालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली	के के चटवाल kk.chatiwal@gail.co.in	सीजीएम (पीडी)	जी एस बिष्ट gsbist@gail.co.in	जीएम (पीडी)	गेल, जुबली टॉवर, नोएडा, उ.प्र.-201301	दिल्ली तथा एनसीआर के व्यापार विकास निदेशालय के अंतर्गत सभी विभाग
4.	एचआर निदेशालय, कॉर्पोरेट कार्यालय,नई दिल्ली	एस के घुलयानी skghulyani@gail.co.in	सीजीएम (एचआर - पीएंड ईआर)	नीता बधवार nbadhawar@gail.co.in	जीएम (एचआर-ईएस)	16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066	दिल्ली तथा एनसीआर के मानव संसाधन निदेशालय के अंतर्गत सभी विभाग
5.	वित्त निदेशालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली	एस के सिन्हा sksinha@gail.co.in	जीएम (एफएंडए)	श्रीनिबश मिश्रा s.misएचआरa@gail.co.in	जीएम (एफएंडए)	16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066	दिल्ली तथा एनसीआर के वित्त निदेशालय के अंतर्गत सभी विभाग
6.	अगरतला	बिस्वजीत देबबर्मा biswajitdebbarma@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम - एनजी पी/एल)	संदीप केरकेट्टा sandeep.kerketta@gail.co.in	वरिष्ठ प्रबंधक (ओएंडएम- एनजी पी/एल)	गेल (इंडिया) लिमिटेड, हिंदी हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, राधानगर बस स्टैंड, पी.ओ. अभेयनगर, अगरतला 799005	गेल, अगरतला के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय
7.	बेलापुर, (मुंबई) - ओएंडएम	संजय प्रेमदास गेडाम s.gedam@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम - एनजी पी/एल)	शिव कुमार पुरुषार्थी shivp@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (एचआर)	गेल भवन, रोड नं.3, प्लॉट नं.73, सेक्टर-15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, 400614	सभी विभाग ओआईसी मुंबई (ओएंडएम) और जीपीयू-उसर को रिपोर्ट कर रहे हैं

8.	भुवनेश्वर परियोजना	के वी जी श्रीनिवास kvgsrinivas@gail.co.in	जीएम (निर्माण)	संजय ढांढा sanjay.dhanda@gail.co.in	डीजीएम (निर्माण)	गेल इंडिया लिमिटेड, 610-612, उत्कल सिग्नेचर, पहाला,एनएच-5, 752101	भुवनेश्वर परियोजना कार्यालय
9.	छांयसा कंप्रेसर स्टेशन	बिनय कुमार केरकेट्टा Binay.kerketta@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (एचआर)	विजय दुसेजा vduseja@gail.co.in	वरिष्ठ अधिकारी (एचआर)	छिनसा कंप्रेसर स्टेशन, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा	छांयसा
10.	दिबियापुर कंप्रेसर स्टेशन	ए के सिन्हा sinhaak@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम - एनजी जीपी पी/एल)	अश्वनी शर्मा asharma@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (एचआर)	गेल (इंडिया) लिमिटेड, एचवीजे कंप्रेसर स्टेशन, दिबियापुर, औरैया- 206244, उत्तर प्रदेश	दिबियापुर कंप्रेसर स्टेशन और संबद्ध पाइपलाइन क्षेत्राधिकार
11.	डीटी कांडला	बाल चंद्र balachandra@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम - एलपीजी पी/एल)	राम चंद्र ramchandra@gail.co.in	मुख्य प्रबंधक (जेलटेल-टी / सी)	डीटी कांडला, गांव मीठी रोहर, तालुका-गांधीधाम, जिला कच्छ, गुजरात	गेल, कांडला
12.	गेल गैस, बेंगलुरु	नरेंद्र साहू narendrasahu@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (निर्माण)	मंटू कुमार mantu.kumar@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (एचआर)	तीसरी मंजिल, एमएस कॉम्प्लेक्स, एस-44, न्यू बीईएल रोड, बेंगलुरु - 560 054	बेंगलुरु क्षेत्र
13.	जीपीयू- वाघोडिया	आर सी कृष्णन rck00488@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम)	बी. सतीश कुमार satishkumar@gail.co.in	वरिष्ठ प्रबंधक (एलएबी)	जीआईडीसी औद्योगिक एस्टेट,वाघोडिया- 391760, जिला वडोदरा (गुजरात)	एलपीजी संयंत्र और कंप्रेसर स्टेशन वाघोडिया
14.	जीपीयू-गंधार	बोल्ला सत्यनारायण Bs01273@gail.co.in	जीएम (ओएंडएम)	हरीश चंद्र harish@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (जीपीयू ओएंडएम)	गैस प्रसंस्करण इकाई, गांधार, गांव रोज़ातंकरिया, तालुका आमोद, जिला भरूच गुजरात-392140	जीपीयू-गंधार
15.	जीपीयू-उसर					एलपीजी रिकवरी प्रोजेक्ट उसर पोस्ट मल्यान, तालुका अलीबाग, जिला रायघर 402203	जीपीयू-उसार को मुंबई कार्यालय द्वारा देखा जाएग

16.	जीटीआई, नोएडा	आर एस वेलमुरुगन rs.velmurugan@gail.co.in	जीएम (प्रशिक्षण)	निगमानंद मिश्रा nmisएचआरa@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)	प्लॉट नं. 24, सेक्टर-16ए, नोएडा - 201301, उ.प्र.	सभी विभाग ओआईसी, जीटीआई, नोएडा को रिपोर्ट करते हैं
17.	हजीरा कंप्रेसर स्टेशन	आर दामोदरन RD00441@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम-एनजी पी/एल)	टी एस बघेल ts.baghel@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम-एनजी पी/एल)	हजीरा कंप्रेसर स्टेशन, इच्छापोर- मगधल्ला रोड, पीओ. ओएनजीसीएल, जिला-सूरत (गुजरात)	हजीरा कंप्रेसर स्टेशन और सिलवासा रखरखाव बेस
18.	जामनगर (3811)	संजीव के आर त्रेहन strehan@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (गेल टेल-टीएम)	अरविंद एम जादव amjadav@gail.co.in	वरिष्ठ प्रबंधक (ओएंडएम- एलपीजी पी/एल)	डीटी-आरआईएल, आरआरटीएफ क्षेत्र, मोती खावड़ी जिला जामनगर-361142	केवल गेल जामनगर
19.	झाबुआ कंप्रेसर स्टेशन	तेज कुमार बारा tkbara@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम)	पी.आर. फिरके Prashant.Firake@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (एनजी पी/ एल ओएंडएम)	झाबुआ कंप्रेसर स्टेशन गेलर कलां झाबुआ (म.प्र.) 457661	झाबुआ कंप्रेसर स्टेशन
20.	जेएचबीडीपीएल-रांची	सांसद महतो mpmahato@gail.co.in	सीजीएम (निर्माण)	जे पी साह jpsah@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम-एनजी पी/एल)	5वीं मंजिल, पूर्वी ब्लॉक का नॉर्थ विंग, मेकॉन मुख्यालय कॉम्प्लेक्स, डोरंडा, रांची, झारखंड-834002	जेएचबीडीपीएल, रांची
21.	जेएलपीएल और ज़ोनल कार्यालय, जयपुर	विजय कुमार vijaykumar@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (गेल टीईएल-टी/सी)	एस सत्य मूर्ति sathyadhirai@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (बीआईएस)	गेल भवन, सेक्टर-6, विद्याधर नगर जयपुर-302023, राजस्थान	जेएलपीएल और कार्यालयों के सभी टर्मिनलों को ओआईसी, जयपुर को रिपोर्ट कर रहे हैं
22.	कैलारस कंप्रेसर स्टेशन	अमर सिंह amarsiएनजीh@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम)	राजेन्द्र सिंह rajender.siएनजीh@gail.co.in	मुख्य प्रबंधक (एचआर)	कैलारस कंप्रेसर स्टेशन, तहसील- कैलारस, जिला- मुरैना, मध्य प्रदेश, पिन: 476224	कैलारस कंप्रेसर स्टेशन

23.	कराईकल	टी एस विश्वनाथन tsviswanathan@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (निर्माण)	सी. संकर csankar@gail.co.in	मुख्य प्रबंधक (एचआर)	प्रथम और द्वितीय एनडी तल, एएचएम कॉम्प्लेक्स, कामराजार सलाई, कराईकल 609 602, पुदुचेरी (यूटी)	कराईकल, पीपीसीएल - टर्मिनल, आदियाकमंगलम, पेरुंगुलम और कुथलम
24.	के जी बेसिन/ राजमुंद्री	वारा प्रसाद एसएसआरवी गोरथी varaprasad@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (आरआईएमजी)	एस पी रेड्डी spreddy@gail.co.in	मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन)	72-2-14/ए, गेल भवन, एवी अप्पा राव रोड, राजमुंद्री - 533103	राजमुंद्री कार्यालय और सभी 5 रखरखाव बेस। (तातिपका, विजेश्वरम, काकीनाडा, गुडिवाडा और लैंको)
25.	खेड़ा	पी के अग्रवाल pk.agarwal@gail.co.in	उप महप्रबंधक (एनजीपी/ एलओ एंड एम)	जी आर मीणा grm01246@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (एनजी पी/एलओएंडएम)	खेरा कंप्रेसर स्टेशन ग्राम: चिकली, तहसील: तराना, जिला: उज्जैन	खेरा, पीथमपुर और देवास
26.	कोंकण एलएनजी (प्रा.) लिमिटेड, दाभोल,	प्रमोद कांबले, pk02553@gail.co.in	जीएम (ओएंडएम)	के के बाबू kkb@gail.co.in	वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर)	कोंकण एलएनजी (प्रा.) लिमिटेड, दाभोल, अंजनेवेल, तालुका-गुहागर, जिला-रत्नागिरी, महाराष्ट्र, पिन-415634	एलएनजी संयंत्र, दाभोल
27.	एनसीआर ओएंडएम	राजीव मेहरोत्रा rmeएचआरotra@gail.co.in	जीएम (सीएंडपी)	योगेश्वर शर्मा ysharma@gail.co.in	जीएम (ओएंडएम-एनजी पी/एल)	तीसरा तल, पीएआरसी बिल्डिंग, जीटीआई परिसर, नोएडा, उ.प्र.- 201301	सभी विभाग ओआईसी, एनसीआर (ओएंडएम) की रिपोर्ट कर रहे हैं
28.	पाता	के प्रेम कुमार premkumar@gail.co.in	सीजीएम (सीएंडपी)	राजा कुमार साहू rksahoo@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (एफएंडए)	गेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पाता, औरैया (उ.प्र.) - 206241	गेल पाता
29.	वडोदरा	एन के सुबारनो nk_subarno@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (एचआर)	आदेश सिंघल adesh.siएनजीhal@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (सीएंडपी)	गेल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 549/1, अजीतनगर, अकोटा, वडोदरा	सभी टर्मिनल और कार्यालय ओआईसी, वडोदरा को रिपोर्ट कर रहे हैं
30.	वाराणसी सी.जी.डी.	गौरी शंकर मिश्रा gaurishanker@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (सीजीडी)	एन के द्विवेदी nkdwivedi@gail.co.in	मुख्य प्रबंधक (सीजीडी)	5वीं मंजिल, वीटीसी बिल्डिंग, एमए रोड, वाराणसी	वाराणसी सीजीडी

31.	वाराणसी एम/एल	सी एस मजिठिया CSM@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (कांस्टेबल)	बी के श्रीवास्तव bksrivastava@gail.co.in	वरिष्ठ प्रबंधक (निर्माण)	5वीं मंजिल, वीटीसी बिल्डिंग, एमए रोड, वाराणसी	वाराणसी, गोरखपुर
32.	विजयपुर	डी के जैन dkjain@gail.co.in	जीएम (एचआर)	एस के गुप्ता sk.gupta@gail.co.in	जीएम (सीएंडपी)	गेल कॉम्प्लेक्स, विजयपुर, जिला गुना, म.प्र.- 473112	सभी टर्मिनल और कार्यालय ओआईसी, विजयीपुर को रिपोर्ट कर रहे हैं
33.	वीएसपीएल-विजाग	पी रामकृष्ण ramakrishna@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (ओएंडएम - एलपीजी पी/एल)	वी. गणेश बाबू vganeshbabu@gail.co.in	वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर)	गेल (इंडिया) लिमिटेड, डिस्पैच टर्मिनल, शीला नगर, बीएचपीवी पोस्ट, विकास कॉलेज, पोर्ट रोड, विशाखापत्तनम के पीछे - 530012।	विजाग, जी. कोंड्रुरू, आरटी, राजमुंद्री और चेरलापल्ली
34.	ज़ोनल कार्यालय, एनसीआर-नोएडा	गिरिजा शंकर girijashankar@gail.co.in	जीएम (विपणन -एनजी)	वी एन शर्मा vnsharma@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (विपणन-एनजी)	छठी मंजिल, जुबली टॉवर, बी 35-36, सेक्टर 1 नोएडा	एनसीआर ज़ोनल कार्यालय
35.	ज़ोनल कार्यालय, हैदराबाद	दुर्गेश सिंह durgeshsiएनजीh@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (विपणन-एनजी)	के.आर. बट्टुला ksbattula@gail.co.in	वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर)	मॉड्यूल नं. 105, एनएसआईसी बिजनेस पार्क, कमला नगर, डॉ. एएस राव नगर, ईसीआईएल (पीओ), हैदराबाद - 500062	हैदराबाद ज़ोनल कार्यालय और अमरावती शाखा कार्यालय
36.	ज़ोनल कार्यालय, कोलकाता	मनोजित साहा m.saha@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (बीआईएस और विपणन.-एनजी)	असीम कुमार भौमिक akbhaumik@gail.co.in	मुख्य प्रबंधक (विपणन.-खुदरा)	गेल (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता जोनल कार्यालय, छठी मंजिल, मारबेल आर्क बिल्डिंग, 236बी, एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700020	कोलकाता ज़ोनल कार्यालय; गुवाहाटी विपणन कार्यालय
37.	ज़ोनल कार्यालय, अहमदाबाद	नीरज भट्ट nbhatt@gail.co.in	डीजीएम (विपणन-एनजी)	वी बी सिंह vbsiएनजीh@gail.co.in	वरिष्ठ अधिकारी (विपणन-टीएस)	809, सकर- II, एलिस ब्रिज के पास, टाउन हॉल के सामने, अहमदाबाद-380006	अहमदाबाद जोनल ऑफिस
38.	ज़ोनल कार्यालय, भोपाल	ए के सबरवाल ak.sabarwal@gail.co.in	डीजीएम (खुदरा और पीसी विपणन)	अभिषेक सिन्हा abhisek.sinha@gail.co.in	वरिष्ठ अधिकारी (पीसी-विपणन)	गेल (इंडिया) लि., भोपाल जोनल कार्यालय, 8, मेपल हाई स्ट्रीट, ओ.पी. आशिमा	भोपाल ज़ोनल कार्यालय

						मॉल, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) 462026	
39.	ज़ोनल कार्यालय, चेन्नई	एम के बिस्वास mkbiswas@gail.co.in	जेडसीजीएम/ ओआईसी	वर्षा राजेंद्र रामटेके varajen@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (विपणन.-एनजी)	गेल (इंडिया) लिमिटेड, 4/60, 5वीं मंजिल, कुप्पू आर्केड, वेंकट नारायण रोड, टी.नगर, चेन्नई -600017	चेन्नई जोनल ऑफिस
40.	ज़ोनल कार्यालय, भुवनेश्वर	परिमल मंडल parimalmandal@gail.co.in	मुख्य प्रबंधक (विपणन-गैस)	अरुण कुमार प्रधान akpradhan@gail.co.in	वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन-एनजी)	जिंजर होटल, जयदेव विहार, भुवनेश्वर, ओडिशा -751013	भुवनेश्वर ज़ोनल कार्यालय
41.	ज़ोनल कार्यालय, बेंगलुरु	यूएस पांडे uspandey@gail.co.in	जीएम (विपण)	अपूर्बा कुमार चौधरी apurba@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (सीएंडपी)	गेल इंडिया लि। # 323, हंस, कोडेघल्ली मेन रोड, सहकार नगर - 560092	सभी टर्मिनलों और कार्यालयों की बेंगलुरु को रिपोर्ट कर रहे हैं
42.	ज़ोनल कार्यालय, चंडीगढ़	संजय अरोड़ा s.arora@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (विपणन.-गैस एवं खुदरा)	प्रशांत कपूर prashant.kapoor@gail.co.in	सीएम (विपणन.-पीसी)	उद्योग भवन एनेक्सी भवन, 18, हिमालय मार्ग, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017	चंडीगढ़ जोनल कार्यालय
43.	ज़ोनल कार्यालय, लखनऊ	मनीष चंद्र सक्सेना manish.saxena@gail.co.in	डीजीएम (पीसी विपणन)	अरविंद कुमार गुप्ता agupta@gail.co.in	मुख्य प्रबंधक (मक्तग-एनजी)	फोर्टुना टॉवर तीसरी मंजिल, 10, राणा प्रताप मार्ग, सिकंदर बाग क्रॉसिंग के पास, लखनऊ पिन - 226001	लखनऊ जोनल ऑफिस
44.	ज़ोनल कार्यालय, मुंबई, बेलापुर	हिमाद्रि मंडल h.mandal@gail.co.in	जेडसीजीएम (एमजेडओ)	मोहम्मद शफी shafi@gail.co.in	उप महाप्रबंधक (विपणन-पीसी)	जेल भवन, सेक्टर 15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, 400614-महाराष्ट्र	एमजेडओ, बेलापुर